

(भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

सं० के-20014/6/2002-डीडी।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 4 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

सा०का०नि०सं०..... केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रभार्य पूर्व-निर्धारित दरें निम्नानुसार अधिसूचित करती है :-

| | |
|------------------------------|--|
| भूमि की श्रेणी | नरेला के लिए वर्ष 2006-07 की अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी०) |
| 1. वैकल्पिक भूखंड | 5615.00 ₹ (इसमें आंतरिक विकास व उपयोग की लागत तथा अधिभोग प्रभार सम्मिलित है) |
| 2. डीडीए आवास स्कीमें | |
| (क) एसएफएस | 6947.00 ₹ |
| (ख) एमआईजी | 5789.00 ₹ |
| (ग) एलआईजी | 3474.00 ₹ |
| (घ) ईडब्ल्यूएस | 2316.00 ₹ |
| | (फ्लैटों की निपटान लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत शामिल की जाए) |
| 3. जे.जे. स्कवेटर (पुनर्वास) | 22.90 लाख ₹ प्रति एकड़ (आंतरिक विकास की दरें शामिल नहीं है, जो दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा की जाएगी) |

ये दरें वित्त वर्ष 2006-07 के लिए प्रभावी हैं ।

एस.एन. गुप्ता

(एस.एन. गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली - 110064